[श्री सिंहासन सिंह]

इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि इस की आवश्यकता क्यों है । व्यक्तिगत व्यापारी तो किसी न किसी प्रकार से अपना काम ठीक कर लेता है । उस को गाड़ी भी मिल जाती है और माल भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी सरकारी माल के आने में दिक्कत हुआ करती है । एक बार गोरखपुर में एक बिजली का कारखाना बन रहा था । उस के सिलसिले में कुछ कोयले की जरूरत थी और कुछ सीमेंट और चूना वगैरह चाहिये था । वह सब लखनऊ में पड़ा था और लखनऊ से गोरखपुर के लिये डिब्बे नहीं मिल रहे थे । वहां के एक इंजीनियर ने मुझे कहा कि मैं कहां से, किस मद से घूस ला कर दूं कि वह माल यहां आ सके । मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी कभी गवर्नमेंट के माल के आने जाने में भी मजबूरी होती है । इसी तरह से को-आपरेटिव सोसायटीज के माल के आने जाने में भी दिक्कत पड़ती है । उन के खातों में भी लेनदेन का खाता नहीं होता है कि वे कुछ ले दे कर अपना काम चला लें ।

Shri V. P. Nayar: There is no quorum.

Shri Sinhasan Singh: The position is precarious.

Shri V. P. Nayar: We want you to be heard by at least the minimum number of members.

Mr. Deputy-Speaker: The quorum bell is being rung. Now there is quorum. Mr. Sinhasan Singh may now continue his speech.

Shri V. P. Nayar: Again, after a minute, there will be no quorum.

Mr. Deputy-Speaker: Mr. Rane may now present his report.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FOURTEENTH REPORT

Shri Rane (Buldana): I beg to present the Fourteenth Report of the Business Advisory Committee.

INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: Shri Sinhasan Singh may now continue his speech.

श्री सिंहासन सिंह : मैं कह रहा था कि को-आपरेटिव्ज के उत्थान के लिये यह जरूरी है कि स्टेट और केन्द्रीय गवर्नमेंट इस को विधेयक के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है, वह को-आपरेटिव सोसायटियों को भी दी जाय । गवर्नमेंट का यह उद्देश्य है कि हमारे देश में को-आपरेटिव कारोबार बढ़े । इस तरह वह उद्देश्य पूरा हो सकता है ।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्राइब्यूनल की बनावट में जो तब्दीली की जा रही है, वह एक बड़ा आमूल परिवर्तन है । अब तक उस में केवल वही शख्स हो सकता था, जोकि हाई कोर्ट का जज रहा हो । लेकिन अब उस के अलावा दो ऐसे अन्य व्यक्ति भी रहेंगे, जिन को तिजारत का तजुर्बा हो, जोकि तिजारत से संबंधित रहे हों । उन लोगों को ट्राइब्यूनल में बैठने का, रेट को निर्धारित करने का और झगड़ों इत्यादि का फ़ैसला करने का उतना ही अधिकार है, जितना कि एक जज को पहले था । मेरे छोटे विचार में, और अगर तिजारत से सम्बन्धित व्यक्तियों को यह उच्च स्थान दिया जा रहा है तो, जैसाकि सामन्त जी ने कहा है, गृहस्थों को भी उस में क्यों न स्थान दिया जाय ? अगर विचार यह है कि इस ट्राइब्यूनल में सब इन्ट्रेस्ट्स को रिप्रेजेन्टेशन मिले, तो कृषक समाज को भी उस में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । इस धारा में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं थी ।